भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-145
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

एनईपी 2020 के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन

†145. **डॉ. भोला सिंह:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो एनईपी के हिस्से के रूप में वंचित क्षेत्रों के स्कूलों को प्रदान किए गए डिजिटल संसाधनों या उपकरणों का विवरण क्या है;
(ग) इस संबंध में कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया; और
(घ) डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए पूर्व-विद्यालय से कक्षा 12 तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए विभिन्न आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों में उपलब्ध है:

(i) **विकल्प I**: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी मांग और आवश्यकता के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशाला पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर खरीदने की छूट है। इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के अनुपात के आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षाओं, वर्चुअल कक्षाओं और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

(ii) **विकल्प II**: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षाओं/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

- **आईसीटी प्रयोगशालाएं:** 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान और प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

वर्ष 2023-24 से, यह योजना विद्यालय नामांकन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषण भी प्रदान करती है। (संख्या < 100: 2.5 लाख रुपये, 100-250 के बीच की संख्या: 4.5 लाख रुपये, 250-700 के बीच की संख्या: 6.4 लाख रुपये)

- **स्मार्ट कक्षाएं:** स्मार्ट कक्षाओं (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षाएं) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 38,000 रुपये (ई-कंटेंट और डिजिटल संसाधन, बिजली के लिए शुल्क सहित) है।

वर्ष 2023-24 के लिए आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है: -

(लाख रुपए में)

आईसीटी प्रयोगशालाएं		**स्मार्ट कक्षाएं**	
स्वीकृत निधि	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत निधि	उपयोग की गई निधि
55904.4	78672.62	53729.71	36947.14

* व्यय में स्पिलओवर शामिल है

इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन/करार करने और कम्प्यूटर उपकरण वाले सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक परामर्शी जारी की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट प्रभारों को निम्नलिखित के द्वारा पूरा किया जा सकता है:

- समग्र शिक्षा के तहत संस्वीकृत आईसीटी प्रयोगशालाओं/स्मार्ट कक्षाओं के लिए इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के तहत जारी किए जा रहे आवर्ती शुल्क से पूरा किया जा सकता है।
- जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाएं स्वीकृत नहीं हैं और जिनके पास कम्प्यूटर उपकरण हैं, उनके लिए इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के तहत जारी किए जा रहे प्रबंधन निगरानी मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) निधि से पूरा किया जा सकता है या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी निधि से पूरा किया जा सकता है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल मौजूद है, जो शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, जिसका लक्ष्य देश भर में लगभग 25 करोड़ स्कूली बच्चों को लाभान्वित करना है। इस पहल के प्रमुख घटक हैं दीक्षा - देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा, कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए ई-पाठशाला पहल, ई-जादुई पिटारा एक डिजिटल ऐप है जो भौतिक जादुई पिटारा का पूरक है, दीक्षा मंच पर निर्मित वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल है, जहां कक्षा 6 से 12 तक के विषयों के लिए विज्ञान और गणित के लिए 280 वर्चुअल लैब उपलब्ध कराए गए हैं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उपरोक्त डिजिटल पहलें, विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट कक्षा घटक" छात्रों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करती हैं और कक्षा को तकनीक-संचालित कक्षा में बदल देते हैं। छात्र, संसाधनों की व्यापक पहुंच का लाभ उठाते हुए मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों के साथ संयोजन बढ़ाते हैं। यह छात्रों के लिए गहरी समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, जिससे उनका समग्र शैक्षिक अनुभव समृद्ध होता है।

****